14

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अनुदानों की मांगें (2021-22)

{जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही}

चौदहवा प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

चौदहवा प्रतिवेदन

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अनुदानों की मांगें (2021-22)

{जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही}

.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

.12.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

डब्ल्यू आर सी स 69

© 2021 **लोक सभा सचिवालय द्वारा**

लोक सभा के प्रक्रीया और कार्य संचालन नियमो (सोलहवाँ संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और द्वारा मुद्रित

विषय सूची

समिति (2021-22) की सरंचना		(iii)
प्राक्कथन		(v)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय दो	सिफारिशें / टिप्पणियाँ, जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है	8
अध्याय तीन	सिफारिशें / टिप्पणियाँ जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरो को देखतेहुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	27
अध्याय चार	सिफारिशें / टिप्पणियाँ जिनके संबंध में समिति ने सरकारके उत्तरो को स्वीकार नहीं कियाहै	28
अध्याय पांच	सिफारिशें / टिप्पणियाँ जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	32

अनुबंध

I	जल संसाधन सम्बन्धी स्थाई समिति की 21.10.2021 को हुई प्रथम बैठक का कार्यवाही सारांश	33
II	समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (17 वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई का विश्लेषण	34

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

डॉ. संजय जायसवाल - सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्री विजय बघेल
3. श्री भागीरथ चौधरी
4. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी
5. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर
6. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
7. डॉ. के. जयकुमार
8. श्री धनुष एम. कुमार
9. श्री सुनील कुमार
10. श्री अकबर लोन
11. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
12. श्री निहाल चन्द चौहान
13. श्री हँसमुखभाई एस. पटेल
14. श्री संजय काका पाटील
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. श्रीमती नुसरत जहां
17. कुमारी अगाथा के. संगमा
18. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
19. श्री चन्दन सिंह
20. श्री डी.के. सुरेश
21. श्री एस. सी. उदासी

<u>राज्य सभा</u>

22. सरदार बलविंदर सिंह भुंडर
23. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर
24. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
25. श्रीमती मौसम नूर
26. श्री अरुण सिंह
27. श्री सुभाष चंद्र सिंह
28. श्री रेवती रमन सिंह
29. श्री प्रदीप टम्टा
30. रिक्त
31. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1. श्री एम् के मधुसूदन - सयुक्त सचिव
2. श्री आर सी शर्मा - अपर निदेशक
3. श्री सतीश कुमार - सहायक समिति अधिकारी

<u>प्राक्कथन</u>

मैं, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति, समिति द्वारा उसकी और से प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति का चौदहवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ जो जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-22) पर ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई के बारे में है ।

2. समिति का ग्यारहवें प्रतिवेदन 8.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के उतर 28.05.2021 को प्राप्त हो गए थे।

3. समिति ने 21.10.2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (17 लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई का विश्लेषण परिशिष्ट - II में दिया गया है।

नई दिल्ली
<u>दिसंबर, 2021</u>
अग्रहायण,1943 (शक)

डॉ. संजय जायसवाल,
सभापति,
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का यह प्रतिवेदन जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की वर्ष 2021-22 की अनुदानों की मांगों से संबंधित समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है।

2. ग्यारहवें प्रतिवेदन को 08.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इस प्रतिवेदन में 19 टिप्पणियाँ/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। इनकी जांच की गई है और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है:-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया हैः-
क्र. सं. 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18 और 19

कुल - 16

अध्याय -दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहतीः
क्र.सं. शून्य

कुल -00

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया हैः
क्र. सं. 7, 8 और 9

कुल - 03

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैः
क्र.सं. शून्य

कुल -00

अध्याय-पांच

4. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय - एक में की गई सिफारिशों से संबंधित उत्तर यथाशीघ्र समिति को उपलब्ध कराए जाए।

5. अब समिति उनके द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी, जिन्हें दोहराए जाने अथवा जिन पर टिप्पणियां किए जाने की आवश्यकता है।

क. संदूषित जल आपूर्ति वाले ग्रामीण क्षेत्र

[सिफारिश क्रम सं. 7 (पैरा सं. 2.10 और 2.11)]

6. संदूषित जल आपूर्ति वाले ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि देश में 15.02.2021 तक 48,969 ग्रामीण बस्तियां अभी भी पानी के संदूषण से प्रभावित हैं, जिनमें से 3,112 बस्तियां आर्सेनिक संदूषण, 2,972 फ्लोराइड से, 31,142 लौह से, 866 नाइट्रेट संदूषण से, 300 भारी धातुओं से और 10,575 बस्तियां पानी में उच्च लवणता से प्रभावित हैं। इसके अलावा, समिति यह भी नोट करती है कि चिह्नित 27,544 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में मार्च, 2021 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मार्च, 2017 में पूर्व के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (अब जेजेएम में सम्मिलित) के भाग के रूप में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) शुरू किया गया था। 15 फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, 78 बस्तियों को छोड़ कर शेष बस्तियों को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तथापि, लौह और लवणता जैसे अन्य संदूषकों से प्रभावित बस्तियों, जो कि जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का बड़ा हिस्सा हैं, को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की-गई-कार्रवाई के संबंध में विभाग ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को भी इस पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। समिति यह समझती है कि पेयजल स्रोतों के संदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार ने असुरक्षित जल के उपभोग का स्वयं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में ग्रामीण आबादी को जागरूक बनाने के लिए समय-समय पर बड़ा जागरूकता ड्राइव/अभियान चलाया है, जो प्रशंसनीय है। तथापि, समिति का यह सुविचारित मत है कि यद्यपि जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का एकमात्र समाधान पाइप द्वारा जल आपूर्ति करना है, फिर भी जब तक कि पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रत्येक ग्रामीण घर/बस्ती तक पहुंचे, देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत/बस्ती में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) की स्थापना करके स्वच्छ जल की आपूर्ति करने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। समिति को यह जानकारी दी गई है कि विभिन्न राज्यों द्वारा अब तक देश में 32,277 सीडब्ल्यूपीपी स्थापित किए गए हैं। समिति इस बात को लेकर संशय में है कि क्या ये सीडब्ल्यूपीपी जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं। समिति सिफारिश करती है कि विभाग, राज्यों के साथ परामर्श करके सीडब्ल्यूपीपी की कुल आवश्यकताओं का आकलन करे और सभी बस्तियों में सीडब्ल्यूपीपी की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार करे।"

7. विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"जल जीवन मिशन का उद्देश्य, वर्ष 2024 तक नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है, जिसमें जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना है। तथापि, सुरक्षित जल स्रोतों के आधार पर जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन में समय लगता है, पूर्णत: अनंतिम उपाय के रूप में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी)

स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि इन बसावटों में प्रत्येक परिवार को पीने और रसोई की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 8 से 10 एलपीसीडी पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके। राज्यों से बार-बार प्राथमिकता के आधार पर सभी शेष बसावटों में सीडब्ल्यूपीपी संस्थापित करने का अनुरोध किया जा रहा है। वार्षिक आयोजना प्रक्रिया के दौरान, राज्यों पर इन सभी गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में वर्ष के दौरान ही पीने योग्य जल उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।"

8. प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई उत्तर से समिति यह नोट करती है कि विभाग ने जेजेएम दिशानिर्देशों के संगत प्रावधानों का ही केवल उल्लेख किया है और यह बताया है कि राज्यों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे शेष सभी बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर कम्युनिटी वाटर प्यूरीफिकेशन प्लांटस (सीडब्ल्यूपीपी) लगाएं। जवाब में लौह व लवणता जैसे प्रदूषकों से प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ पेयजल के प्रावधान के संबंध में की गई कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। साथ ही, जवाब में स्पष्ट रूप से यह भी नहीं बताया गया है कि क्या जल गुणवत्ता प्रभावित सभी बस्तियों में सीडब्ल्यूपीपी लगाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है। अतः समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है कि लौह व लवणता जैसे प्रदूषकों की वजह से जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से प्रभावित बस्तियों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और जल गुणवत्ता प्रभावित सभी बस्तियों में सीडब्ल्यूपीपी लगाने के लिए संबंधित राज्यों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

ख. राजस्थान के गंगानगर जिले में संदूषण का मुद्दा

[सिफारिश क्रम सं. 8 (पैरा सं. 2.12)]

9. राजस्थान के गंगानगर जिले में संदूषण के मुद्दे पर, समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि पंजाब से राजस्थान तक बहने वाली गंगा नहर में पंजाब में स्थित उद्योगों द्वारा बहाए गए हानिकारक और अनुपचारित रसायन होने की बात कही गई है। इस जल का उपभोग करने के कारण, गंगानगर और निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित गांव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है जिसका ग्रामीणों के स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जो इसका पीने के लिए इसका उपयोग करते हैं और दिन-प्रतिदिन कैंसर के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। समिति, इस मामले पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, विभाग से राजस्थान के गंगानगर जिले और निकटवर्ती क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर जल शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाने का आग्रह करती है, ताकि इस मिशन के अंतर्गत स्वच्छ और पीने योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।"

10. विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। राजस्थान राज्य से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें।"

11. समिति यह नोट कर अप्रसन्न है कि पंजाब में स्थित उद्योगों से खतरनाक व अनुपचारित रसायनों को कथित रूप से गंगा नहर में छोड़े जाने के संबंध में समिति की सिफारिश पर विभाग की प्रतिक्रिया लापरवाही और साधारण रही है। समिति पाती है कि जवाब, जैसाकि समिति की ओर से सुझाया गया था, प्राथमिकता के आधार पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की किसी ठोस कार्य योजना से रहित है। अतः समिति इस बात को दोहराती है कि विभाग को चाहिए कि वे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए राजस्थान सरकार के परामर्श व समन्वयन से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करें जिससे कि गंगानगर व उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ व पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

ग. जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं

[सिफारिश क्रम सं. 9 (पैरा सं. 2.13)]

12. जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की आवश्यकता के संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:-

"जेजेएम योजना के अंतर्गत, विभाग, नीतिगत दिशानिर्देश, तकनीकी और वित्तीरय सहायता उपलब्धव करा कर पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, उन्नत बनाने और कार्यकरण में सुधार करने और इसे सुदृढ़ बनाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रहा है और उन्हें सुविधाएं उपलब्धर करा रहा है। समिति पाती है कि अनुदानों की मांगें (2020-21) की जांच के दौरान, तत्कालीन सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सूचित किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2,232 परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं, जिनमें से 28 राज्य स्तयरीय प्रयोगशालाएं, 732 जिला प्रयोगशालाएं, 244 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं और 1146 अनुमंडलीय प्रयोगशालाएं थीं। तथापि, समिति ने अनुदानों की मांगें (2021-22) की जांच के संबंध विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 2,032 नोट करती है, जिनमें से 28 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं, 675 जिला प्रयोगशालाएं, 93 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं और 1,143 अनुमंडलीय प्रयोगशालाएं हैं। समिति ने पेयजल और स्वच्छता विभाग की अनुदानों की मांगें (2020-21) संबंधी अपने चौथे प्रतिवेदन में पहले ही जल संदूषित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पर बल दिया था। तथापि, समिति यह नोट कर निराश है कि स्थापित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या में प्रगामी वृद्धि को दर्शाने के बजाए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्थापित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या में कमी की गई है। समिति महसूस करती है कि जेजेएम की सफलता में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि ग्रामीण स्तर पर उपयोग किए जा रहे जल में कोई हानिकारक तत्व नहीं है, जोकि ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिए अहितकर हैं। इसलिए, समिति, विभाग से पर्याप्त संख्या में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने और चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्यशील जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में कमी करने के कारणों के बारे में समिति को अवगत कराए जाने की सिफारिश करती है।"

13. विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला/उप मंडलीय/ब्लॉक/सचल (मोबाइल) प्रयोगशालाओं की स्थापना/ उन्नयन द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण, जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) का अभिन्न घटक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए आवंटन का 2% तक डब्ल्यूक्यूएमएस के उपयोग हेतु उपलब्ध है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, उपकरणों, यंत्रों, रसायनों, ग्लासवेयर, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद, आउटसोर्स मानव संसाधन को नियोजित करना, एनएबीएल प्रत्यायन आदि जैसे कार्यकलाप शामिल हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि हर राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय प्रयोगशाला हो और बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाए ताकि आसपास के सभी स्रोतों की नियमित रूप से जांच की जा सके। इसके अलावा, सभी जिलों में एक जिला स्तरीय प्रयोगशाला अवश्य हो और उच्च प्राथमिकता के साथ इनका गठन किया जाए। संबंधित राज्य, प्रभावी निगरानी के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और प्रयोगशालाओं की एनएबीएल प्रत्यायन/ मान्यता के साथ-साथ अन्य डब्लूक्यूएमएस कार्यकलापों को वार्षिक कार्य योजना की आयोजना में अनिवार्य रूप शामिल करें। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को शीघ्रता से एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए एनएबीएल से प्रत्यायन/मान्यता प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सरल बनाने के मामले को उठाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से आयोजित सभी समीक्षा बैठकों में इस पहलू के अनुपालन पर बल दिया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया है, ताकि नाम मात्र दरों पर वे अपने जल नमूनों की जांच करवा सकें और अपने घरों में आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता का आकलन कर सकें। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 'जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली' पर मैप करने के लिए कहा गया था जहां यह जांच की जा सके। इस संबंध में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन प्रयोगशालाओं का कार्यकरण की समीक्षा की और अद्यतन आंकड़ों के आधार पर इनकी नवीनतम संख्या बताई गई है। विभाग, एनएबीएल के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला स्तर की प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन तथा उप-मंडलीय और ब्लॉक स्तर की प्रयोगशालाओं की पहचान में तीव्रता लाने के संबंध में कार्य कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त और प्रभावी आईईसी कार्यकलाप सुनिश्चित रूप से चलाएं तथा प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण दें ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्वच्छता तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सुरक्षित पेयजल स्रोतों के विभिन्न पहलुओं के विषय में उच्च स्तरीय जागरूकता लाई जा सके।"

14. समिति यह नोटकर क्षुब्ध है कि विभाग का की-गई-कार्रवाई उत्तर टालमटोल करने वाला है और उसमें देश में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की घटती संख्या के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। विभाग ने अपने जवाब में केवल उन्हीं दिशानिर्देशों को दोहराया है जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) क्रियाकलापों के लिए निर्धारित धनराशि का दो प्रतिशत उपयोग करने की सलाह दी गई है जिनमें अन्य बातों के अलावा प्रयोगशालाओं की स्थापना/उनके उन्नयन, उपकरणों, यंत्रों, केमिकल ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, एनएबीएल प्रत्यायन आदि जैसे क्रियाकलाप भी शामिल हैं। देश में कार्यरत जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में कमी पर अपनी

चिंता जाहिर करते हुए समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है कि ऑपरेशनल प्रयोगशालाओं की संख्या में गिरावट के कारणों को प्रस्तुत किया जाए और साथ ही, यह भी बताया जाए कि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग व समन्वयन से देश में और अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

घ. कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियों के पास अप्रयुक्त बकाया

[सिफारिश क्रम सं. 19 (पैरा सं. 2.24)]

15. कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियों के पास अप्रयुक्त बकाया के संबंध में, समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:-

"समिति यह नोटिस करती है कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के अंत तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत क्रमश: 2,436.37 करोड़ रुपए और 6,431.85 करोड़ रुपए की बड़ी अप्रयुक्त राशि पड़ी हुई है। इसी तरह से, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण एसबीएम(जी) के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के अंत में 10683.89 करोड़ रुपए और 10475.26 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त राशि शेष पड़ी हुई है। समिति यह नोट कर चिंतित है कि एसबीएम(जी) के अंतर्गत अप्रयुक्त बकाया की समस्या ओडिशा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में और भी अधिक है। समिति पाती है कि इस संबंध में विभाग की प्रतिक्रिया असंतोषजनक और बारंबारिता प्रकृति वाली है जहां सामान्य कारण राज्यों की अंशधारिता का समय पर जारी न होना बताया गया है तथा वित्त पोषण पद्धति में कुछ परिवर्तन की भी जानकारी दी गई है। तथापि, समिति यह नोट करनेको बाध्य है कि विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत काफी अप्रयुक्त राशि बकाया बच गई है, जिसमें कि आने वाले वर्षों में वृद्धि हो रही है। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को राज्य सरकार तथा अन्य पणधारकों के साथ इसे गंभीरता से उठाना चाहिए ताकि आवंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग किया जा सके। इस प्रयोजन हेतु, विभाग में सख्त निगरानी तथा वित्तीय प्रबंधन तन्त्र होना चाहिए, जिससे न केवल आवंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग बल्कि हर एक स्कीम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।"

16. विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"**<u>जेजेएम</u> -** जल जीवन मिशन के तहत, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 6,431.85 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि चिंता का प्रमुख विषय रही है और इसके लिए विभाग ने राज्य के वित्त विभागों द्वारा केंद्रीय हिस्से के अंतरण और केंद्र के साथ-साथ राज्य के हिस्से का समय पर उपयोग करने के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं। इन ठोस प्रयासों और लॉकडाउन सहित कोविड-19 के कारण व्यवधानों के बावजूद, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर तेजी आई और अधिक निधियों का उपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 31.3.2021 को अव्ययित शेष राशि 4,826.95 करोड़ रुपये रह गई। जेजेएम के तहत खर्च की निगरानी के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) लागू की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे केंद्रीय निधि को राज्य के समतुल्य हिस्से के साथ-साथ केंद्र द्वारा निधि जारी करने के 15 दिनों के भीतर कार्यान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित करें। इसके अलावा, जेजेएम के तहत केंद्र से धनराशि प्राप्त करने वाला 'एस्क्रो

अकाउंट' पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के साथ ऑन-बोर्ड होगा। इससे केंद्र तथा समतुल्यक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के उपयोग की बेहतर निगरानी सुनिश्चित होगी।

<u>एसबीएम</u> - एसबीएम (जी) चरण-दो के तहत, वित्तीय विवेकपूर्णता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे (एक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य स्तर पर सभी भुगतान करने के लिए एकल नोडल खाता रखने का निर्देश दिया गया है ताकि इस कार्यक्रम के तहत निचले स्तर पर धनराशि जमा होने से बचा जा सके और अव्ययित शेष राशि की निगरानी में पारदर्शिता लाई जा सके, (दो) निधियों के जमा होने (पार्किंग) को कम करने के लिए चार किस्तों (पूर्ववर्ती दो किस्तों के बजाय) में धनराशि जारी की जाएगी, (तीन) विभाग, भारत सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑन-बोर्ड करने और पीएफएमएस के आरईएटी/डीबीटी मॉड्यूल के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया में है, ताकि धनराशियों के उपयोग की वास्तविक समय की निगरानी की जा सके। एसबीएम(जी) चरण-दो के तहत गांवों में की जा रही सभी स्वच्छता कार्यकलापों की प्रगति को शामिल करने के लिए विकसित एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अब वास्तविक प्रगति की भी निगरानी की जा रही है।"

17. पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई उत्तर से समिति यह नोट करती है कि अप्रयुक्त शेष की समस्या को कम करने के लिए विभाग की ओर से अनेक उपाए किए गए हैं/किए जा रहे हैं। विभाग ने बताया कि जेजेएम के तहत राज्य वित्त विभागों से केंद्र सरकार के हिस्से की राशि के हस्तांतरण और केंद्र तथा राज्य के हिस्से की राशि के समय से उपयोग के लिए प्रबल प्रयास किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप 31.03.2021 तक अप्रयुक्त शेष घटकर 4826.95 करोड़ रूपए रह गया है। इसी प्रकार, एसबीएम (जी) के तहत विभाग ने वित्तीय परिणाम व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं जिससे कि धन के उपयोग की समय से निगरानी की जा सके। विभाग के इस संबंध में किए गए प्रयासों को स्वीकार करते हुए समिति यह उम्मीद जाहिर करती है कि किए गए उपायों से वांछित परिणाम मिलेंगे। समिति का विभाग से आग्रह है कि वे इस मामले में किसी तरह की ढिलाई न बरते और उनसे यह उम्मीद करती है कि वे धन के उपयोग और राज्य सरकारों पर संसाधनों के सख्त उपयोग पर कड़ाई से नजर रखें जिससे कि सरकार की दोनों ही फ्लैगशिप योजनाओं के तहत अप्रयुक्त शेष का परिशोधन सुनिश्चित हो सके।

अध्याय - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश क्रम संख्या 1 (पैरा सं. 2.1)

पेयजल और स्वच्छता विभाग, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता हेतु नीतिगत योजना बनाने, वित्तपोषण करने और कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। केंद्रीय बजट 2021-22 में, पेयजल और स्वच्छता विभाग के लिए 60,030.45 करोड़ रूपए की राशि का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) के 21494.10 करोड़ रूपए राशि के किए गए आवंटन की तुलना में 179.17% की भारी वृद्धि है। इसमें से, 50,011 करोड़ रूपए का आवंटन अकेले जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किया गया है, जो वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) में किए गए 11,500 करोड़ रूपए के आवंटन की तुलना में 334.87% की भारी बढ़ोतरी है। समिति यह भी नोट करती है कि सरकार ने वर्ष 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के कार्यान्वयन हेतु 9,994.10 करोड़ रूपए का आवंटन किया है, जो वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) के बजटीय आवंटन के समान है। समिति, ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2024 तक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आबंटन में भारी वृद्धि करने के लिए सरकार की बहुत सराहना करती है। समिति को बताया गया है कि एसबीएम (जी) चरण - दो के तहत, ओडीएफ की निरंतरता और साथ ही सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट (एसएलडब्ल्यूएम) कैटेगरि के तहत नए उभरते घर-परिवारों के लिए आईएचएचएल का निर्माण सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गोबर धन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रेवाटर मैनेजमेंट और फीसल स्लज मैनेजमेंट जैसे घटकों पर बल दिया जाएगा। जेजेएम के तहत, ग्रामीण क्षेत्र के हर घर परिवार में एफएचटीसी मुहैया कराने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित समय-सीमा को देखते, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2021-22 के लिए अपनी-अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसे अप्रैल-मई, 2021 में अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग ने हर घर में फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देने के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता भी जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को ही दी है। समिति आशा करती है कि दोनों ही योजनाओं के तहत, वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए विभिन्न कार्यकलापों/कार्यों के वांछित परिणाम प्राप्त होंगे और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित लाभार्थियों को इनका काफी लाभ मिलेगा। साथ ही, समिति यह भी आशा करती है कि फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए बढ़ाकर किए गए आवंटन का पूरा-पूरा उपयोग होगा और इन योजनाओं के अंतर्गत जल और स्वच्छता के क्षेत्रों के तहत पहले से स्वीकृत व शुरू किए गए कार्य पूरे हों। समिति यह भी आशा करती है कि प्रत्येक ग्रामीण घर को एफएचटीसी उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा तय की गई समय-सीमा का पालन किया जाएगा और जेजेएम, वर्ष 2024 तक 100 प्रतिशत घरों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

सरकार का उत्तर

<u>जल जीवन मिशन:</u> जल जीवन मिशन एक समयबद्ध मिशन मोड कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। दो राज्य और दो संघ राज्य क्षेत्र नामतः गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा पुदुचेरी "हर घर

जल राज्य" बन गए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के अलावा, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा जेजेएम के कार्यान्वयन के मुद्दे को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उठाया जा रहा है। वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से जेजेएम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

<u>स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):</u> स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] चरण-दो को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) सततता और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं पर ध्यान देने के साथ-साथ ओडीएफ प्लस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2021-22 के दौरान ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखने के लिए शौचालयों के निरंतर उपयोग के लिए जागरूकता पैदा करना, बचे हुए घरों/नए निर्मित घरों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराना, शौचालयों की रेट्रोफिटिंग, सीएससी का निर्माण जैसे विभिन्न कार्यकलापों और कचरे का संग्रह और छटांई सामुदायिक खाद गड्ढों, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों, सामुदायिक सोख्ता गड्ढों, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाबों का निर्माण, मलीय कचरा प्रबंधन आदि जैसी एसएलडब्ल्यूएम कार्यकलापों की परिकल्पना की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्यकलापों को शुरू करने हेतु वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (एआईपी) को तैयार करने और इसे विभाग को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, राज्यों द्वारा एआईपी तैयार और प्रस्तुत की गई हैं और इन पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श भी किया गया है। राज्यों को उनकी एआईपी मांग और वर्ष 2021-22 के कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन के आधार पर निधियां जारी की जाएंगी। उनके एआईपी के संबंध में राज्यों की प्रगति की निगरानी विभाग द्वारा की जाएगी और राज्यों को उनके एआईपी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों के साथ चर्चा की जाएगी और उनमें सहायता दी जाएगी। तथापि, स्वच्छता के व्यवहारिक मुद्दा होने के कारण, शौचालयों के नियमित उपयोग और रखरखाव तथा उपयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन परिपाटियों को अपनाने की दिशा में व्यवहार परिवर्तन को शामिल करने पर ध्यान दिया जाता है। इस निधि का उपयोग राज्यों द्वारा ओडीएफ प्लस परिसंपत्तियों/तंत्रों के निर्माण पर किया जाता है ताकि लोगों द्वारा इस तरह के साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवहार के अंगीकरण का पता लगाया जा सके तथा कार्यक्रम के तहत निर्मित ऐसी परिसंपत्तियों का उपयुक्त उपयोग और रखरखाव किया जा सके।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 2 (पैरा सं. 2.2)

समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा कार्यान्वित फ्लैगशिप योजनाओं का वित्तपोषण पैटर्न जेजेएम के तहत 50:50 के और एसबीएम (जी) के तहत 60:40 के अनुपात में है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए वित्त पोषण का यह पैटर्न 90:10 के अनुपात में है। केंद्रीय सहायता/वित्तपोषण के अलावा, शेष वित्त पोषण संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को करना होता है। योजनाओं के प्रभावी व समुचित कार्यान्वयन के लिए, राज्यों को दोनों ही योजनाओं में वित्तपोषण के अपने मैचिंग शेयर को समय से जारी करने की जरूरत है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों की उपलब्धता के अभाव में योजनाएं प्रभावित न हों। समिति को यह बताया गया है कि दोनों ही योजनाओं के तहत विभाग द्वारा नियमित रूप

से समीक्षा किए जाने वाले सिंगल नोडल अकाउन्ट में राज्यों के मैचिंग शेयर जारी करने में काफी विलंब होता रहा है। समिति, विभाग से आग्रह करती है कि वे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इस बात का दबाव बनाएं कि वे दोनों ही फ्लैगशिप योजनाओं के तहत वित्तपोषण के अपने-अपने मैचिंग शेयर बिना किसी विलम्ब के समय से जारी करें, जिससे कि विहित धनराशि लक्षित लाभार्थियों तक समय से पहुंच सके और योजना के तहत चिन्हित लाभार्थियों को निर्धारित समय-सीमा में इसका सही तरीके से लाभ मिल सके। समिति चाहती है कि विभाग द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों से उन्हें अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

<u>जल जीवन मिशन</u> - जेजेएम - यह वास्तव में एक मुद्दा है कि कुछ राज्य केंद्रीय अनुदान को हस्तांतरित करने में असमर्थ रहे हैं और केंद्रीय अनुदान जारी होने के 15 दिनों के भीतर राज्य का समतुल्य हिस्सा भी जारी करने में असमर्थ रहे हैं। विभाग/मंत्रालय, संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों सहित उच्चतम स्तर पर राज्य सरकार के साथ लगातार मामले को उठाता रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों के एकल नोडल खाते में अनुदान का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मुख्यमंत्रियों को नियमित रूप से आग्रह करते रहते हैं। इसके अलावा, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के लिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i.) राज्य हिस्सेदारी के प्रावधान को प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में आयोजित की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाया गया है ताकि लक्ष्य को तदनुसार सुनिश्चित किया जा सके;

ii.) राज्यों के एकल नोडल खाते को 'एस्क्रो खाते' के रूप में संचालित करने के प्रावधान भी किए जा रहे हैं ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय निधि के हस्तांतरण में देरी से बचा जा सके; तथा

iii.) जेजेएम के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए वर्ष भर, राज्य सरकार के अधिकारियों साथ समय-समय पर उच्चतम स्तरों पर कई समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि समग्र लक्ष्य को समय के भीतर हासिल किया जा सके।

विभाग के इन ठोस प्रयासों से, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सैद्धांतिक रूप से पिछले वर्षों के राज्य के समतुल्य हिस्से में कमी की गई राशि के साथ-साथ राज्य का समतुल्य हिस्सा समय-सीमा के भीतर जारी करने पर सहमति व्यक्त की है।

एसबीएम(जी) चरण-दो के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्यों को कार्यक्रम के तहत केंद्र के हिस्से की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर अपना आनुपातिक राज्य हिस्सा जारी करना होगा। राज्यों को उनके आनुपातिक राज्य हिस्से को समय पर जारी करने के लिए भी नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में केवल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के संबंध में आनुपातिक राज्य हिस्से को जारी करने में कमी है। उनको नियमित रूप से कार्रवाई करने को कहा जा रहा है। जल शक्ति मंत्री की ओर से इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्य का अनुपातिक हिस्सा जल्द-से-जल्द जारी करने के लिए पत्र भी भेजा गया है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 3 (पैरा सं. 2.3 और 2.4)

जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा अगस्त, 2019 में की गई थी और इसे मिशन मोड में 2024 तक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन्स (एफएचटीसी) के जरिए देश में ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति नोट करती है कि 15.8.2019 तक 18.93 करोड़ ग्रामीण घरों में से 3.23 करोड़ (17%) घरों में टैप वाटर कनेक्शन होने की बात बताई गई है। 15.02.2021 तक 19.18 करोड़ ग्रामीण घरों में से 6.73 करोड़ (35.12%) घरों में पेयजल की आपूर्ति हो चुकी है। समिति, गोवा और तेलंगाना की राज्य सरकारों द्वारा शत प्रतिशत घरों में टैप वाटर कनेक्शन्स देने अर्थात `हर घर जल राज्य` के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करती है। समिति नोट करती है कि इस योजना के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जेजेएम के तहत बनाए गए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन्स के बेसलाइन आंकड़ों का पुनर्सत्यापन व उनका पुष्टिकरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मार्च, 2020 से पहले किया जाना था और इस मिशन के इंटिग्रेटिड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमआईएस) पर इसकी जानकारी दी जानी थी। समिति को यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बेसलाइन आंकड़ों की पुष्टि या उनका पुनर्सत्यापन राज्यों द्वारा किया गया है, और आईएमआईएस के मामले में जानकारी दी गई है। इसलिए, समिति सरकार से आग्रह करती है कि वे राज्यों को इस प्रक्रिया को पूरा करने और बेसलाइन आंकड़ों व उनके पुनर्सत्यापन और समाधान से उसे अवगत कराएं, जिससे यह पता चल सके कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दरअसल कितने घरों में एफएचटीसी मुहैया कराया जाना है।

सरकार का उत्तर

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से घरेलू नल कनेक्शनों के बेसलाइन डाटा का पुन:सत्यापन और पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पुनर्वैधीकरण के बाद बताया था कि 01.04.2020 तक देश में लगभग 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवार थे, जिनमें से 3.23 करोड़ के पास नल जल कनेक्शन थे। विभाग में यह भी विचार किया गया है कि 'ग्रामीण परिवारों की संख्या' एक गतिशील डाटा है, और इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसे नियमित आधार पर अद्यतन करने की अनुमति है। 16.05.2021 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 19.19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से 7.41 करोड़ (39%) परिवारों को नल जल की आपूर्ति की गई है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 4 (पैरा सं. 2.5 और 2.6)

फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन्स (एफएचटीसी) से ग्रामीण घरों के कवरेज के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। समिति का यह मत है कि पाइपलाइन में जल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना केवल नल कनेक्शन के प्रावधान से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और जेजेएम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। समिति अपने सामूहिक अनुभव और जमीनी हकीकत से यह पाती है कि ऐसे बहुत मामले हैं जिनमें नल फिट किए जा रहे हैं किंतु उनमें जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है। समिति महसूस करती है कि

जिला स्तर पर एक निगरानी तंत्र बनाने की आवश्यकता है, जिससे वास्तविक आधार पर जल की आपूर्ति की निगरानी की जा सके। इसके लिए, विभाग को नवीनतम प्रौद्योगिकी साधनों जैसे - जीपीएस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) इत्यादि का भी लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा, विभाग को जल की आपूर्ति और टूल नेटवर्क के समुचित कार्यकरण की जांच करने के लिए नियमित अंतराल पर स्थल दौरे भी करने चाहिए। समिति, विभाग से यह आग्रह भी करती है कि वह पर्वतीय क्षेत्रों, जहां घर न केवल बहुत दूर-दूर होते हैं बल्कि कुछ स्थानों पर कठिन हालात भी होते हैं, की ग्रामीण बस्तियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए विशेष रणनीति तैयार करे। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

जल जीवन मिशन के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर एक चार स्तरीय संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को जिला स्तर पर जेजेएम के तहत किए जा रहे कार्यों के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी का काम सौंपा गया है। इसके अलावा, जेजेएम में किए जा रहे कार्यों की प्रभावी निगरानी करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख तंत्र स्थापित किए गए हैं:

क. विशिष्ट परिणामों की लक्षित सुपुर्दगी और निगरानी के लिए, प्रत्येक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन्स (एफएचटीसी) को वैधानिक प्रावधानों के अधीन, घर के मुखिया की आधार संख्या से जोड़ा जा रहा है;

ख. जेजेएम के तहत सृजित प्रत्येक परिसंपत्ति की जियो- टैगिंग की जा रही है;

ग. राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर वास्तविक प्रगति की निगरानी के लिए एक रियल टाइम डैशबोर्ड;

घ. एक सुदृढ़ जेजेएम-आईएमआईएस की शुरुआत की गई है;

ङ. कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्यों द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई);

च. योजनाओं और नल जल कनेक्शन का कार्यशील मूल्यांकन;

छ. सेंसर आधारित आईओटी समाधान के माध्यम से गांवों में जल की आपूर्ति का मापन और निगरानी।

जेजेएम के तहत, समुदायों को मौजूदा बुनियादी ढांचे, पूंजी निवेश, परिचालन लागत का अनुकूलतम उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए पेयजल क्षेत्र में नवाचारों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, और इस तरह किफायती लागत पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। कठोर जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों जैसे ज्यादा ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान में और अत्यधिक मृदा बदलावों का सामना करने वाले इलाकों या अलग-थलग बसी आबादी वाले गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिखरे हुए/अलग-थलग/जनजातीय/पहाड़ी गांवों के लिए स्थानीय नवाचार/तकनीकी समाधान अर्थात सौर ऊर्जा आधारित स्टैंड-अलोन जल आपूर्ति प्रणाली, भूजल दूषित क्षेत्रों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) आदि की संभावना तलाशी

जा रही है। इसके अलावा, जल क्षेत्र में उपयोग के लिए विभिन्न नवाचार प्रौद्योगिकियों को आमंत्रित और जांच करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया गया है। पहाड़ी, वनाच्छादित, आदिवासी और सूखा प्रवण और मरुस्थलीय क्षेत्रों में बिखरे हुए घरों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए, 20 से कम घरों या 100 आबादी वाली बसावटों को कवर करने के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में, सौर-आधारित और गुरुत्वाकर्षण-आधारित जल आपूर्ति को भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि इन छोटी बसावटों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुनिश्चित रूप से जल आपूर्ति मिलती रहे। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में, झरने पानी के प्रमुख स्रोत हैं और जल जीवन मिशन के तहत, इन झरनों को सुदृढ़ बनाने और क्षमता बढ़ाने के लिए, स्प्रिंगशेड प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया है। डॉ. आर.एस. टोलिया, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में 27-28 फरवरी, 2020 को जल स्रोत के रूप में झरने वाले राज्य/जिला अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। विभाग 'सहभागी स्प्रिंगशेड प्रबंधन के माध्यम से पहाड़ों में पीने योग्य पेयजल का प्रावधान' नामक एक दस्तावेज भी लेकर आया, जिसे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक रूप से साझा किया गया है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 5 (पैरा सं. 2.7)

निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, स्वच्छ और पीने योग्य जल की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए, जल के नए स्रोतों का पता लगाना और तेजी से गिरते हुए जल स्तर का पुनर्भरण करना बहुत आवश्यक हो गया है। मानव जीवन में जल के महत्व को रेखांकित करते हुए, समिति यह टिप्पणी करती है कि यथासंभव जल का संरक्षण करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए और विभाग से आग्रह करती है कि विशेषरूप से राजस्थान में सूखा प्रवण और मरूस्थल क्षेत्रों में सभी जीपी/वीडब्ल्यूएससी द्वारा वर्षा जल संचयन ढांचों/नया वर्षा जल संचयन ढ़ांचों की स्थापना को अनिवार्य बनाये, क्योंकि इन क्षेत्रों में भौगोलिक दशा के कारण जल स्रोतों की कमी है। इसके अतिरिक्त, समिति, पारंपरिक जल निकायों को पुन: चालू करने और उनका पुनरूद्धार करने की आवश्यकता पर जोर देती है, जिसमें गांवों में बोर-वेल का पुनर्भरण, झीलों और तालाबों की सफाई शामिल है, क्योंकि इन जल निकायों में जल का सुनिश्चित स्रोत बनने की क्षमता है। विभाग को एक संमिलन मॉडल अपनाना चाहिए जिसके द्वारा जेजेएम को मनरेगा, आरआरआर जैसी अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके ताकि सभी ग्रामीण बस्तियों में जल की सुनिश्चित और अखंड आपूर्ति की जा सके। समिति नोट करती है कि ग्रामीण जनता, जागरूकता और शिक्षा के आभाव के कारण जल संरक्षण तकनीकों के महत्व से अनजान है। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग इन मुद्दों को राज्य सरकारों के साथ उठाये और उनसे आरडब्ल्यूएच के संवर्धन के लिए योजनाएं बनाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए आईईसी कार्यकलाप करने और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व का प्रसार करने और आरडब्ल्यूएच कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बनाने के लिए आग्रह करे।

सरकार का उत्तर

लंबे समय तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता को विभाग द्वारा नोट किया कर लिया गया है, और जेजेएम के लिए समिति के

सुझावों पर विचार किया जा रहा है। घरेलू नल जल कनेक्शन को लंबी अवधि के आधार पर कार्यशील बनाने के लिए, सभी ग्राम पंचायतों या उसकी उप समिति/पानी समिति आदि को 5-वर्षीय ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें अन्य बातों के साथ पीने के पानी के स्रोत, लंबे समय तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण, बोरवेल के पुनर्भरण, झीलों और तालाबों की सफाई आदि सहित पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार और कायाकल्प जैसे कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्भरण करना शामिल है। वीएपी के तहत ग्राम पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान, मनरेगा, डीएमडीएफ, कम्पा, जेजेएम, पीएमकेवीवाई, एसबीएम(जी), एमपी/एमएलए एलएडी फंड, डीएमडीएफ, सीएसआर निधि आदि से मिलने वाली राशि को गांव स्तर पर उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण समुदाय को संगठित करने के लिए आईएसए को कार्य सौंपने और वीएपी में की गई विभिन्न गतिविधियों की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी में मदद करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण आबादी में जल संरक्षण उपायों और अन्य संबद्ध गतिविधियों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायक गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत आवंटित धन के 5% तक का उपयोग करने की अनुमति है। जेजेएम की समीक्षा बैठकों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे वीएपी की तैयारी में तेजी लाएं जिसमें ओ एंड एम, जल संरक्षण, स्रोत सुदृढ़ीकरण, ग्रेवाटर पुन:उपयोग आदि शामिल हैं। जेजेएम के तहत स्कूलों, आंगनबाडी केन्द्रों, आश्रमशालाओं आदि में नल के पानी की आपूर्ति के लिए 100 - दिवसीय अभियान भी शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत, वर्षा जल संचयन और ग्रे वाटर पुन:उपयोग संरचनाओं को भी शामिल किया गया था ताकि आने वाली पीढ़ी जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो और इसके महत्व को समझे। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस विभाग ने 256 जल संकट ग्रस्त जिलों के 1,592 ब्लॉकों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जल शक्ति अभियान (जेएसए) आरंभ किया था। इस अभियान के अंतर्गत, मध्यवर्तन के पांच क्षेत्रों के तहत लक्ष्यबद्ध कार्यकलाप किए गए, ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं- i) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन ii) पारंपरिक जल निकायों/ टैंकों का नवीकरण iii) पुनः उपयोग/ बोरवेल पुनर्भरण ढांचे iv) वाटर शेड विकास और v) गहन वनीकरण। इस अभियान के लाभ दीर्घकाल में दृष्टिगत होंगे। इस अभियान को विभिन्न स्कीमों जैसे कि मनरेगा, आईडब्ल्यूएमपी, एसबीएम (जी) आदि के तालमेल से कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2021 में, 22 मार्च अर्थात विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान को 'कैच द रेन' थीम के साथ देश के सभी 729 जिलों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 6 (पैरा सं. 2.8 और 2.9)

समिति नोट करती है कि ग्रामीण घरों को निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल प्रदान करने के लिए जल गुणवत्ता मानिटरिंग और निगरानी (डब्ल्यू क्यू एमएस) को जल जीवन मिशन के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विभाग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता मानिटरिंग और निगरानी क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। स्वच्छ पेयजल को बढ़ावा देने के विचार से, जेजेएम में पंचायतों के क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है और यह उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में सभी पेयजल स्रोतों की जल

गुणवत्ता मानिटरिंग के संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) की जिम्मेदारी लेने का कार्य सौंपता है। समिति को बताया गया है कि संबंधित जीपी/वीडब्ल्यूएसी/पानी समिति इत्यादि को एफटीके/बैक्टीरिया वायल का प्रयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण कराने और उनके परिणामों की रिपोर्ट देने इत्यादि के लिए स्थानीय समुदाय से पांच महिलाओं की पहचान करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सहायता देने का कार्य करना होगा। समिति समझती है कि गांव स्तर पर जल के सभी स्रोतों का 100 प्रतिशत परीक्षण जीपी/वीडब्ल्यूएससी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना था। हालांकि, वास्तव में, बहुत अधिक गुणवत्ता जांच नहीं की जाती है और परिणामस्वरूप कुछ स्रोतों के बैक्टीरिया अथवा रसायन संबंधी संदूषण से प्रभावित होने की संभावना महसूस की जा रही है। समिति, विभाग से आग्रह करती है कि वह जल परीक्षण के पहलू पर और ध्यान दे और राज्यों को न केवल समयबद्ध तरीके से जीपी/वीडब्ल्यूएससी स्तर पर चिह्नित सभी लोगों को प्रशिक्षण देने बल्कि जल की गुणवत्ता प्रभावित होने वाली बस्तियों में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि वे सभी जल स्रोतों की 100 प्रतिशत परीक्षण जांच करायें। विभाग को सभी राज्यों को यह भी निर्देश देना चाहिए कि वे कम से कम तिमाही आधार पर गांव स्तर पर सभी पेयजल स्रोतों के परीक्षण और मासिक आधार पर जल की गुणवत्ता प्रभावित होने वाली बस्तियों में कार्य योजना बनाने का निर्देश भी दे। समिति यह भी चाहती है कि इस प्रकार प्राप्त जानकारी को प्रिंट और दृश्य मीडिया के माध्यम से जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर जनता के सामने रखा जाना चाहिए ताकि पेयजल में संदूषण के कारण किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो।

सरकार का उत्तर

ग्राम स्तर पर किए गए जल गुणवत्ता निगरानी में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को समझते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक गांव में स्थानीय समुदाय जैसे कि आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वीडब्ल्यूएससी सदस्य, शिक्षक समूह आदि से विशेष रूप से महिलाओं सहित 05 लोगों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण दें ताकि वे ग्राम स्तर पर स्कूलों और आंगनवाड़ियों में एफटीके/ बैक्टीरियोलॉजिकल वायल आदि का उपयोग करके जल गुणवत्ता जांच कर सकें। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 5.40 लाख महिलाओं को एफटीके का उपयोग करके जल गुणवत्ता की जांच का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय, संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी योजना में अनिवार्य रूप से एफटीके/ बैक्टीरियोलॉजिकल वायल्स की खरीद/ रिफिल करने तथा एफटीके/ बैक्टीरियोलॉजिकल वायल्स का उपयोग करके जल गुणवत्ता जांच की योजना बनाने के लिए कहा गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि ग्राम स्तर पर एफटीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे डब्ल्यूक्यूएमएण्डएस के अंतर्गत आईईसी गतिविधियां चलाएं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हों:-

i.) जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों, जल जनित बीमारियों तथा उनके कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में जागरूकता सृजन करना;

ii.) जल सुरक्षा योजना बनाना;

iii.) 'गुणवत्ता प्रभावित स्रोत से बिल्कुल भी जल नहीं लेने' पर व्यवहार परिवर्तन संवाद चलाना;

iv.) संदूषित जल के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव, स्वच्छता सर्वेक्षण के महत्व, निजी जल गुणवत्ता स्रोतों की जांच करवाने की प्रक्रिया आदि पर श्रव्य - दृश्य प्रचार;

v.) नल जल को बढ़ावा देने के लिए दीवार पर लिखाई जैसे कि 'यह संदूषण मुक्त है', आदि; और

vi.) जल गुणवत्ता संबंधी स्लोगन, सामूहिक बैठकें, नुक्कड़ नाटक, पीआरए गतिविधियां, प्रदर्शनियां आदि लगाना।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर की जा रही सभी समीक्षा बैठकों में इस संबंध में प्राप्त प्रगति की निगरानी की जाती है और अनुपालन पर बल दिया जाता है। विभिन्न हितधारकों के परामर्श से विभाग ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों तथा स्थानीय ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन हेतु 'जल जीवन मिशन- पेयजल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण फ्रेमवर्क' तैयार किया है ताकि जल गुणवत्ता जांच और इसकी रिपोर्टिंग, जल स्रोतों की निगरानी, स्वच्छता सर्वेक्षण, प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, डाटा कैप्चर करने और आसानी से तथा पारदर्शी रूप से इसकी रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन 'जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली' विकसित की गई है और नमूनों के एकत्रण, जांच और रिपोर्टिंग के लिए इसका उपयोग शुरू हो चुका है। इसके अलावा, रियल टाइम डाटा कैप्चर करने के लिए सेंसर आधारित आईओटी प्रणाली भी प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता से संबंधित मानक शामिल हैं और इसे पब्लिक डोमेन में जेजेएम - डैशबोर्ड पर रखा गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन गतिविधियों को चलाने में समर्थ बनाने हेतु यह छूट दी गई है कि वे अपने वार्षिक जेजेएम आवंटन का 2% तक उपयोग कर सकते हैं, जिसकी नियमित रूप से विभिन्न बैठकों में समीक्षा की जाती है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 10 (पैरा सं. 2.14)

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता का संबंध है, समिति पाती है कि वर्तमान में देश में 70 एनएबीएल मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 20 अधिक हैं। यह जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने की निराशाजनक गति को परिलक्षित करता है, जबकि समिति ने विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अधिक एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पर बल दिया था। इसलिए, समिति दोहराती है कि सभी प्रयोगशालाओं को जल्द-से-जल्द एनएबीएल मान्यता दिलाने के लिए विभाग एक समयबद्ध योजना तैयार करे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ये परीक्षण प्रयोगशालाएं आवश्यक अवसंरचना और अत्याधुनिक परीक्षण उपकरण और अपेक्षित प्रशिक्षित जनशक्ति से सुसज्जित हो।

सरकार का उत्तर

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला/उप मंडलीय/ब्लॉक/सचल (मोबाइल) प्रयोगशालाओं की स्थापना/ उन्नयन द्वारा जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का सुदृढीकरण जल गुणवत्ता

निगरानी और सर्वेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) का आंतरिक घटक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए आवंटन का 2% तक डब्ल्यूक्यूएमएस के उपयोग हेतु उपलब्ध है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोगशालाओं की स्थापना/ उन्नयन, उपकरणों, यंत्रों, रसायनों शीशियों, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद, आउटसोर्स मानव संसाधन को नियोजित करना, एनएबीएल प्रत्यायन आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय प्रयोगशाला हो और बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाए ताकि आसपास के सभी स्रोतों की जांच नियमित रूप से की जा सके। इसके अलावा, सभी जिलों में एक जिला स्तरीय प्रयोगशाला अवश्य हो और उच्च प्राथमिकता के साथ इसकी स्थापना की जाए। संबंधित राज्य, प्रभावी निगरानी के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और प्रयोगशालाओं की एनएबीएल प्रत्यायन/ मान्यता के साथ-साथ अन्य डब्लूक्यूएमएस गतिविधियों को वार्षिक कार्य योजना की आयोजना में अनिवार्य रूप शामिल करें। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तीव्रता से एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए एनएबीएल से बात की गई है कि वे प्रत्यायन/मान्यता प्रक्रिया में तेजी लाएं और इसे सरल बनाएं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से आयोजित सभी समीक्षा बैठकों में इस पहलू के अनुपालन पर बल दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया है ताकि नाम मात्र दरों पर वे अपने जल नमूनों की जांच करवा सकें और अपने घरों में आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता का आकलन कर सकें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे ऐसी सभी प्रयोगशालाओं को जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली पर मैप करें, जहां यह जांच की जा रही है। इस संबंध में, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में इन प्रयोगशालाओं की कार्य क्षमता के संबंध में समीक्षा की गई है और अद्यतन आंकड़ों के आधार पर इनकी नवीनतम संख्या की सूचना दी गई। विभाग,एनएबीएल के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला स्तर की प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन तथा उप-मंडलीय और ब्लॉक स्तर की प्रयोगशालाओं की पहचान में तीव्रता लाने के संबंध में कार्य किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त और प्रभावी आईईसी गतिविधियां सुनिश्चित रूप से चलाएं तथा प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण दें ताकि सुरक्षित पेयजल स्रोतों के विभिन्न पहलुओं, बेहतर स्वच्छता तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में उच्च स्तरीय जागरूकता लाई जा सके जिससे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। दिनांक 18.05.2021 की स्थिति के अनुसार, कोविड महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के बावजूद, सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के एनएबीएल प्रत्यायन की संख्या बढ़कर 120 हो गई है। इसके अलावा, कुछ अन्य प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 11 (पैरा सं. 2.15)

समिति नोट करती है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने देशभर में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा आश्रमशालाओं (जनजातीय स्कूल) में खाना बनाने के लिए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा शौचालयों में हाथ धोने के लिए नल का पानी सुनिश्चित करने के लिए एक 100 दिनों का अभियान आरंभ किया है। विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपने संबंधित क्षेत्रों में इसे

एक `जन आंदोलन` (लोगों का आंदोलन) करने की अपील की है क्योंकि बच्चों में जल जनित बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती है इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के दौरान, एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में बार-बार हाथ धोने की आवश्यकता भी है। यह स्थिति उन क्षेत्रों में ज्यादा जटिल है जहां जल स्रोत में आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा अन्य भारी धातुओं से संदूषित पाए जाते हैं जिससे आर्सेनिकोसिस, फ्लोरोसिस के अलावा, कुछ अन्य स्वास्थ्य जोखिम जैसी पतित करने वाली बीमारियां होती हैं। समिति यह देखकर प्रसन्न है कि 100 दिनों के अभियान की प्रतिक्रिया बेहतरीन थी और आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा पंजाब जैसे राज्य अपने आंगनबाड़ी केंद्रों तथा विद्यालयों में पीने योग्य पाइप्ड जल प्रदान करने में 100 प्रतिशत सक्षम रहा है। हालांकि, इस संबंध में और अधिक किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्य पीछे हैं और इन्हें उन राज्यों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है जिन्होंने अपने स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल तथा स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान करने में 100 प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। पीने योग्य पानी की कमी के कारण, बच्चों में स्वास्थ्य जोखिम को ध्यान में रखते हुए, समिति ने अपने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल तथा शौचालय सुविधाएं प्रदान करने में पीछे रहने वाले राज्यों के साथ मामले को उठाने के लिए विभाग से अनुरोध किया है। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती हे कि विभाग को सभी स्कूलों तथा आंगनवाड़ी में जल शुद्धिकरण संयंत्र तथा आरओ संयंत्र स्थापित किए जाने संबंधी उपाय करने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी पेयजल संदूषण के कारण रोगग्रस्त न हो।

सरकार का उत्तर

इस मिशन के तहत, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइपगत जल आपूर्ति को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विभाग द्वारा राज्यों के साथ नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जा रही है और हाल ही में राज्यों के साथ आयोजित 2021-22 वार्षिक कार्य योजना बैठकों में अगले कुछ महीनों में शेष स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर किए जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, राज्यों को जहां मौजूदा अवसंरचना से पाइपगत पेयजल आपूर्ति संभव नहीं है, वहां अंतरिम उपाय के रूप में जल शुद्धीकरण संयंत्रों/आरओ संयंत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित उपाय करने की सलाह दी गई है। अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 6.31 लाख स्कूलों तथा 5.70 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइपगत जल आपूर्ति मुहैया कराने की सूचना दी गई है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 12 (पैरा सं. 2.16)

समिति यह जानकर चिंतित है कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) की संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर निधि आवंटन में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। समिति महसूस करती है कि संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों के आवंटन में कमी न केवल फ्लैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति को बुरी तरह प्रभावित करेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों की मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को आगे भी बढ़ाएगी। गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बजट अनुमान (ब.अ.) स्तर पर निधियों का आवंटन

9994.10 करोड़ रूपए या जिसे संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर कम करके 6000.00 करोड़ रूपए कर दिया गया था; जबकि वास्तविक व्यय केवल 4368.00 करोड़ रूपए (19.2.2021 तक की स्थिति के अनुसार) था। समिति का यह विचार है कि निधियों की न्यून उपयोगिता योजना के तहत बजट अनुमान की मांग के दौरान वित्तीय सावधानी तथा राजकोषीय अनुशासन की कमी या उचित बजटीय योजना तैयार करने, इसके कार्यान्वयन तथा निगरानी में कमी को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप, लक्षित लाभार्थियों को कार्यक्रम के लाभों से वंचित किया जाता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि विभाग को राज्यों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उचित समन्वय तथा सहयोग के साथ सम्मिलित प्रयास करने चाहिए ताकि आवंटित बजट को पूरी तरह से उपयोग किया जाए तथा संशोधित अनुमान स्तर पर बजट कम करने की गुंजाइश को कम किया जा सके। सभी हितधारकों द्वारा निर्धारित प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी समिति विभागों से आग्रह करती है। विभाग आवंटित निधियों की शत-प्रतिशत उपयोगिता तथा किसी स्तर कमियों के प्रति उत्तरदायित्व तय करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा भी तैयार कर सकता है।

सरकार का उत्तर

एसबीएम(जी) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एआईपी तैयार किया जाना होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए एआईपी पर अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (एनएसएससी) द्वारा राज्यों के साथ चर्चा की जाती है। कार्यक्रम के तहत राज्यों को उनकी अनुमोदित एआईपी मांगों और कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से निधियां आवंटित की जाती है ताकि राज्यों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग किया जा सके। तथापि, चूंकि एसबीएम(जी) एक मांग आधारित कार्यक्रम है, अत:कार्यक्रम के तहत धनराशियों का उपयोग काफी हद तक जमीनी स्तर पर स्वच्छता परिसंपत्तियों की मांग सृजित करने और लोगों के बीच सकारात्मक व्यवहार तैयार करने पर निर्भर करता है ताकि राज्यों द्वारा ऐसी स्वच्छता परिसंपत्तियों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। पेयजल और स्वच्छता विभाग एसबीएम(जी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निधियों की उपयोगिता पर नियमित बैठक आयोजित करेगा।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 13 (पैरा सं. 2.17)

समिति नोट करती है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) योजना के लिए गठित मौजूदा प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाने के लिए 12,000 रूपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। यह प्रोत्साहन राशि बीपीएल परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे चिन्हित परिवारों को उनके द्वारा शौचालय निर्माण तथा उपयोग किए जाने के पश्चात दी जाती है। समिति नोट करती है कि शहरी क्षेत्रों में आईएचएलएल के निर्माण के लिए 20,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जबकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 12,000 रूपए है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि निर्माण सामग्रियों/मजदूरी आदि की लागत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में लगभग एक समान है बल्कि दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में यह अधिक परिवहन लागत शामिल होने के कारण, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा महंगी है, इसलिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों में शौचालयों के

निर्माण के लिए एक समान वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि विभाग इस मामले को गंभीरता से विचार करे और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में शौचालयों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की मात्रा में समानता लाने के लिए कदम उठाए एवं इस संबंध में उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

एसबीएम (शहरी) दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए प्रत्येक चिह्नित लाभार्थी परिवार के लिए केंद्र सरकार की प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपए प्रति पारिवारिक शौचालय है। राज्य व्यक्तिगत शौचालयों के लिए प्रति आईएचएचएल न्यूनतम 2,667 रुपए का योगदान देंगे। विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्रीय हिस्सा 100% (4000 रुपये प्रति आईएचएचएल) होगा और संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा 1,333 रुपये भी केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्रीय हिस्सा 4,000 रुपये प्रति आईएचएचएल और संघ राज्यय क्षेत्र का हिस्सा 1,333 रुपये प्रति आईएचएचएल होगा। तथापि, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार की प्रोत्साहन राशि 10,800 रुपये प्रति यूनिट होगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए, केंद्रीय हिस्सा 10,800 रुपये प्रति आईएचएचएल होगा, और राज्य का हिस्सा 1,200 रुपये प्रति आईएचएचएल होगा। एसबीएम (ग्रामीण) के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में 12,000/-रुपये प्रति आईएचएचएल की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, शेष संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र से 100% हिस्सा और शेष राज्यों के लिए यह केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में दिया जाता है। इसलिए, एसबीएम(जी) के तहत आईएचएचएल के लिए न्यूनतम केंद्र हिस्सा 7,200/- रुपये है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्वयं के कोष से अतिरिक्त हिस्सा प्रदान करने की छूट है। व्यवहार परिवर्तन के सिद्धांतों के अनुरूप, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी शौचालयों के स्वामित्व और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को अपना हिस्सा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 14 (पैरा सं. 2.18 और 2.19)

समिति इस तथ्य की प्रशंसा करती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजली देने के रूप में अक्टूबर, 2019 में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति की 100% उपलब्धि प्राप्त की है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। 2024-25 तक ओडीएफ प्लस गांवों के बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ सततता और ठोस द्रव्य कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सरकार ने एसबीएम (जी) द्वितीय चरण फरवरी 2020 में शुरू किया था। हालांकि विभाग की अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान समिति ने एसबीएम-जी और ओडीएफ मिशन के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियों को उजागर किया है। ये हैं (एक) ओडीएफ गांवों में शौचालयों के निर्माण की अपूर्णता; (दो) लक्षित लाभार्थियों को प्रोत्साहन का न मिलना; (तीन) निर्मित शौचालयों में जलापूर्ति की अनुपलब्धता; (चार) ग्रामीणों द्वारा बिजली बिलों का भुगतान न करने के कारण जलापूर्ति का बंद होना; (पांच) लेफ्ट ओवर

लाभार्थियों का मूल्यांकन; (छह) शौचालयों का अन्य उद्देश्यों जैसे गोबर/ऊपलों अथवा हस्क अथवा लकड़ियों के स्टोर के रूप में उपयोग करना; (सात) सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के बाद भी शौचालयों का निर्माण नहीं करना; (आठ) किसी खास गांव को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) के रूप में घोषित करने के लिए सरपंचों/ग्राम प्रधानों/ग्राम सेवकों द्वारा जिला प्राधिकारियों को झूठी रिपोर्ट देना (नौ) इस संबंध में शिकायतें सुनने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति। हालांकि, विभाग के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और बताया कि उन्हें योजना के कार्यान्वयन में समस्या आ रही थी। संबंधित राज्य सरकारों से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई हैं और समिति को एसबीएम (जी) चरण-दो के कार्यकरण में अंतर/कमियों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। समिति पाती है कि ग्रामीण भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन काफी बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के स्तर पर कुछ कमियां रह सकती हैं। इस संबंध में 2 अक्तूबर, 2019 जिस दिन देश में ओडीएफ में 100% उपलब्धि हासिल की थी, प्रधान मंत्री ने निम्नवत कहाः-

"किंतु प्रश्न यह है - जो हमने हासिल किया है, क्या वह पर्याप्त है? उत्तर सरल और स्पष्ट है। जो हमने हासिल किया है वह एक चरण मात्र है, केवल एक स्तर/हमारी यात्रा स्वच्छ भारत की ओर लगातार निर्बाध है।"

उपरोक्त प्रतिपादित कमियों को ध्यान में रखते हुए, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह सीएंडएजी से राज्य स्तर/जिला स्तर/ब्लॉक स्तर/गांव स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में पता चली कमियों को दिखाने की दृष्टि से एसबीएम (जी) चरण-एक की कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा करे, ताकि एसबीएम(जी)-दो के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा सके।

सरकार का उत्तर

पेयजल और स्वच्छता विभाग ने दिनांक 21.05.2021 के पत्र सं. एच-11013/1/2021-एसबीएम-डीडीडब्ल्यूएस के तहत भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग से अनुरोध किया है कि वे एसबीएम (जी) चरण- I के कार्य निष्पादन की लेखापरीक्षा के लिए समिति की सिफारिश पर आवश्यक कार्रवाई करें।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 15 (पैरा सं. 2.20)

समिति नोट करती है कि एसबीएम (जी) के चरण-दो के अंतर्गत, 100 परिवारों से अधिक वाले ओडीएफ प्लस गांवों में विभाग कम से कम एक सीएससी प्रदान करने का प्रयास करेगा, जो फ्लोटिंग/प्रवासी आबादी की स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करे। ग्राम पंचायत सीएससी के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का निर्णय लेगी जो सभी की पहुंच में हो और एससी/एसटी आबादी के साथ गांव में गरीब से गरीब लोगों के स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी। समिति को सूचित किया गया है कि प्रति सीएससी के लिए 3 लाख रूपए की वित्तीय सहायता ग्राम पंचायतों को दी जाती है जिसमें से 70 प्रतिशत एसबीएम (जी) चरण-दो से ली जाएगी और 30 प्रतिशत 15वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित अनुदान से ग्राम पंचायत द्वारा ली जाएगी। विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21

के दौरान कुछ बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश (43830), राजस्थान (7886), महाराष्ट्र (6449), मध्य प्रदेश (5657), बिहार (5218) और गुजरात (1821) ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससीज) के निर्माण में बहुत ही अच्छा प्रोत्साहनीय कार्य किया है, जबकि अन्य राज्यों जैसे पंजाब (1), उत्तराखंड (106), तेलांगना (128), तमिलनाडु (197), केरल (227), हिमाचल प्रदेश (261), कर्नाटक (355), झारखंड (609) और पश्चिम बंगाल (801) पीछे रह गए थे और कुछ ही सीएससी का निर्माण किया है। आंकड़े दिखाते हैं कि सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) के निर्माण की प्रगति पूरे देश में प्रोत्साहनीय नहीं है। समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण में राज्यों के ऐसे खराब निष्पादन के कारणों की जांच करे। इसके अतिरिक्त, सीएससी के देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की है जिसके लिए ग्राम पंचायतें सीएससी के परिचालन और देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मॉडलों को अपना सकती है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग को सख्त कदम उठाने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में वांछित संख्या में सीएससी के निर्माण के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनानी चाहिए और ऐसे सीएससी की देखभाल के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। आगे समिति यह भी नोट करती है कि सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण गांवों के किनारों पर किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उनका इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार राज्यों से आग्रह करे कि ग्राम पंचायतें उचित स्थान की पहचान करे जो दूर नहीं हों और लोगों के उपयोग हेतु आसान पहुंच में हों। समिति यह भी सिफारिश करती है कि एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में जल आपूर्ति और ग्रामीण आबादी द्वारा इसके उपयोग की वास्तविक निगरानी के लिए सभी सीएससी को जियो-टैग किया जाए।

समिति संसद में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के छह महीने के भीतर की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

एसबीएम(जी) के अंतर्गत यह प्रयास किया गया है कि सभी ग्रामीण परिवारों के पास अपने घरेलू शौचालय हों। इसलिए, व्यक्तिगत शौचालय वाले 100% घरों को हासिल करने पर, कई गांवों को सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तथापि, कुछ गांवों में अभी भी उन घरों की स्वच्छता संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीएससी का निर्माण करने की आवश्यकता होगी, जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए जगह की कमी है या अस्थायी/प्रवासी आबादी या उन जगहों आदि पर जहां लोगों की काफी भीड़ होती है। इसलिए, सीएससी का निर्माण वहां किया जाता है, जहां इसकी नितांत आवश्यकता है और इनका प्रचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए, एसबीएम (जी) चरण- दो दिशानिर्देशों में सीएससीज के निर्माण के प्रावधानों को भी पत्र संख्या एस-11011/2/2020-एसबीएम-डीडीडब्ल्यूएस दिनांकित 23-11-2020 के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसमें यह अपेक्षा है कि 100 से अधिक घरों वाले ओडीएफ प्लस गांवों में कम से कम एक सीएससी का निर्माण किया जाए। दिशानिर्देश में यह भी प्रावधान है कि ग्राम पंचायतें सीएससी के निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करेंगी जो सभी के लिए आसानी से सुलभ हो, जिसमें पर्याप्त पानी की उपलब्धता हो और इसके प्रचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करेंगी। इस विभाग द्वारा विभिन्न ओ एंड एम मॉडल के बारे

में विस्तृत परामर्शिका जारी की गई है जिनका उपयोग जीपी द्वारा सीएससी के ओएंडएम के प्रचालन और रखरखाव के लिए किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के तहत निर्मित/निर्मित किए जाने वाले सभी सीएससी को जियोटैग करने का भी निर्देश दिया गया है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 16 (पैरा सं. 2.21)

स्वच्छता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है तथा तदनुसार, ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान कराई जाती है तथा इस संबंध में, परामर्श दिया जाता है। देश में ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र शहरीकरण के कारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या अत्यंत कठिन कार्य बन गयी है तथा एक और स्वच्छता सुविधाओं की कमी से पर्यावरण पारिस्थिकीय, मानवजाति पर गंभीर रूप से तथा दूसरी और स्वास्थ्य तथा पशुधन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। समिति नोट करती है कि पूरे देश में 18,753 ग्राम पंचायतों में से 8583 ग्राम पंचायतों ने क्रमश: 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए अवसंरचना सृजित कर ली हैं। ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचनाओं का समग्र सृजन इसकी निराशाजनक रूप से गिरती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। समिति इस बात को नोट करती है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ, गोवा, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने गत तीन वर्षों के दौरान एसएलडब्ल्यूएम अवसंरचना को सृजित करने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है। जबकि, आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, गुजरात, छत्तीसगढ़, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मिजोरम जैसे कुछेक राज्यों में, जो ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अवसंरचना सृजित करने में बहुत अच्छा कार्य कर रहे है। यह भी देखा जा सकता है कि यह तर्क कि एसबीएम(जी) एक जरूरत अनुसार मांग है पर स्वच्छता सुविधाएं/अवसंरचना के उपबंधों के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए है। समिति पाती है इस तरह का तर्क असमर्थनीय है तथा समिति इसलिए चाहती है कि सरकार को अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए तथा एसएलडब्ल्यूएम के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ताकि सभी ग्राम पंचायतों में समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

एसबीएम(जी) के चरण-एक के तहत, मुख्य रूप से 2 अक्टूबर, 2019 तक ओडीएफ गांवों की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ स्थिति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद,वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले एसबीएम (जी) के चरण-दो को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्तच ओडीएफ लाभों और एसएलडब्ल्यूएम की स्थिरता पर ध्यान केंद्रीत किया गया है। चरण-एक की भांति, एसबीएम (जी) चरण-दो के अंतर्गत लोगों में शौचालयों के नियमित उपयोग और रखरखाव और उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के प्रति सकारात्मक व्यवहार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनके गांवों में एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों/तंत्र के निर्माण के लिए लोगों से मांग सृजित हुई है। तथापि, एसबीएम (जी) चरण-दो के कार्य संबंधी दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संपूर्ण कार्यक्रम अवधि के लिए अपनी परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ग्राम पंचायत

विकास योजना (जीपीडीपी) के भाग के रूप में एआईपी तैयार करनी होगी। इसी आधार पर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक लक्ष्यों को अंतिम रूप दे रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ग्राम पंचायतों को एसएलडब्ल्यूएम मध्यवर्तनों से लाभ हो।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 17 (पैरा सं. 2.22)

समिति यह नोट करती है कि धूसर जल प्रबंधन हेतु मल कीचड प्रबंधन संयंत्र के निर्माण हेतु अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, सोक पिट्स का निर्माण, वेस्ट अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मैटिरियल्स रिकवरी सेन्टरों, बायो गैस संयंत्रों भंडारण इकाईयों, कम्पोस्ट पिट्स के निर्माण जैसे एसएलडब्ल्यूएम के निर्माण से जुडे विभिन्न क्रियाकलापों/निर्माण कार्य से विभिन्न क्रियाकलाप जुड़ें है। इन सभी क्रियाकलापों में कुशल तथा अकुशल दोनों काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु काफी संभावना है। अत: समिति विभाग से यह अनुरोध करती है कि रोजगार के अवसरों की संभावना के बारे में ग्रामीण युवाओं में जागरूकता का सृजन करे जो स्कीम की दीर्घकारिता के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण देने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास, कार्यक्रम आरंभ किए जाए।

सरकार का उत्तर

एसबीएम (जी) चरण- दो के अंतर्गत, कार्यक्रम निधि का 5% सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें से 3% राज्य स्तर पर उपयोग किया जाना है। राज्यों को एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों के संबंध में ग्रामीण आबादी के बीच कचरा प्रबंधन और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, एसएचजी आदि की क्षमता निर्माण के संबंध में जागरूकता पैदा करने की गतिविधियों को शुरू करने की सलाह दी गई है। इसके लिए राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडीज) और अन्य तकनीकी संसाधन एजेंसियों/साझेदारों को एसएलडब्ल्यूएम और ओडीएफ स्थिरता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शामिल करें। कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों और युवा समूहों ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के संचालन और रखरखाव, ग्रे वाटर का प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों और मलीय कचरा शोधन संयंत्रों का प्रबंधन, आदि जैसी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है। राज्यों और जिलों द्वारा कार्यान्वित क्षमता निर्माण घटक में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सेवाओं के प्रबंधन में स्वयं सहायता समूहों और युवा समूहों का प्रशिक्षण शामिल है। इसके अलावा, एसबीएम(जी) चरण-दो में कार्यक्रम की शुरुआत से विभिन्न एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों के लिए उद्यमिता और व्यवसाय मॉडल को प्रोत्साहित करना अभिन्न अंग रहा है। यह आशा की जाती है कि ग्रामीण भारत में ऐसे व्यवसाय विकास मॉडल सक्रिय रूप से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देंगे; इस आशय के प्रावधान एसबीएम चरण-दो दिशानिर्देशों में भी किए गए हैं।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 18 (पैरा सं. 2.23)

देश में आम स्थानों पर कूड़ा करकट/कचरे के भारी ढेर को एक स्थान पर रखने में अपने घरों के ठोस/तरल अपशिष्ट को ग्रामीणों द्वारा ढेर लगाने की प्रथा है। समिति पाती है कचरे के इन बड़े-बड़े ढेरो से न केवल बदबू उत्पन्न होती है बल्कि इनसे स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है और यह बीमारियों का घर होते है। गांवों के जीवन की गुणवत्ता पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समिति नोट करती है कि शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित स्थान/भूमि भराव पर ठोस अपशिष्ट उठाने और उसका निस्तारण करने का पूरा संस्थागत तंत्र है, जबकि गांवों में इस तरह की कोई तंत्र/प्रणाली नहीं है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि शहरों की ही तर्ज पर, ग्रामीण क्षेत्र और स्थानीय ग्राम पंचायतों में कोई तन्त्र/प्रणाली बनाई जाए इसके लिए कचरे/ठोस अपशिष्ट को एकत्र करने के लिए नगरपालिकाओं के वाहन किराये आदि पर लिए जाए और इस कचरे को यथोचित स्थान पर डाला जाए ताकि गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरे रहे।

सरकार का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा सृजन और उसके प्रबंधन का स्वरूप कस्बों/शहरों के स्वरूप से भिन्न होता है। चूंकि, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में घर फैले हुए होते हैं और कचरा सृज की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए एसबीएम(जी) चरण-दो के अंतर्गत गांव/जीपी स्तर पर ही घरेलू या सामुदायिक खाद के गड्ढ़े, बायो गैस संयंत्र आदि के माध्यम से विकेन्द्रीकृत कचरा प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। सामुदायिक खाद गड्ढों के माध्यम से कचरा प्रबंधन के मामले में, कार्यक्रम में गांवों में कचरे के संग्रहण और खाद/भंडारण की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इसके लिए कचरा संग्रहण के लिए तिपहिया/बैटरी वाहन खरीदने, भंडारण इकाइयों के निर्माण, ग्राम स्तर पर सामुदायिक कम्पोस्ट पिट और ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों के लिए वितीय सहायता का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्यों को व्यवसाय मॉडल/फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज अपनाने की भी सलाह दी गई है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

सिफारिश क्रम संख्या 19 (पैरा सं. 2.24)

समिति ने यह नोट किया है कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के अंत तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत अप्रयुक्त राशि क्रमश: 2436.37 करोड़ रुपए और 6431.85 करोड़ रुपए जमा हुई है। इसी तरह से, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण एसबीएम(जी) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के अंत में 10,683.89 करोड़ रुपए और 10,475.26 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त राशि शेष पड़ी हुई है। समिति यह नोट करके चिंतित है कि एसबीएम(जी) के अंतर्गत अप्रयुक्त बकाया की समस्या ओडिशा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में और भी अधिक है। समिति पाती है कि इस संबंध में, विभाग की प्रतिक्रिया असंतोषजनक और बार-बार होने वाली है जिसका प्रमुख कारण राज्यों की अंशधारिता का समय पर जारी न होना बताया गया है तथा वित्त पोषण पद्धति में कुछ परिवर्तन भी इसके कारण बताए गए है। हालांकि, समिति यह नोट करके अचंभित है कि विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत काफी अप्रयुक्त राशि बकाया बच गई है जो कुछ वर्षों में काफी बढ गई है। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को राज्य सरकार तथा अन्य पणधारकों

के साथ इसे गंभीरता से उठाना चाहिए ताकि आवंटित धनराशि का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इस प्रयोजन हेतु विभाग को सख्त निगरानी तथा वित्तीय प्रबंधन तन्त्र रखना चाहिए जिससे न केवल आवंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग किया जाए बल्कि हर एक स्कीम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

सरकार का उत्तर

<u>जेजेएम</u> - जल जीवन मिशन के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 6,431.85 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि एक प्रमुख चिंता का विषय रही है और इसके लिए विभाग ने राज्य के वित्त विभागों द्वारा केंद्रीय हिस्से के अंतरण और केंद्र के साथ-साथ राज्य के हिस्से का समय पर उपयोग करने के लिए पूरजोर प्रयास किए है। इन ठोस प्रयासों के कारण और लॉकडाउन सहित कोविड-19 के कारण व्यवधानों के बावजूद, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर तेजी आई है और अधिक निधियों का उपयोग किया गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 31.3.2021 को अव्ययित शेष राशि में 4,826.95 करोड़ रुपये तक कमी आई है। जेजेएम के अंतर्गत खर्च की निगरानी के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) लागू की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे केंद्रीय निधि को राज्य के समतुल्य हिस्से के साथ-साथ केंद्रीय द्वारा निधि जारी करने के 15 दिनों के भीतर कार्यान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित करें। इसके अलावा, जेजेएम के तहत केंद्र से धनराशि प्राप्त करने वाला 'एस्क्रो अकाउंट' पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के साथ ऑन-बोर्ड होगा। यह केंद्र तथा समतुल्यक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के उपयोग की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करेगा।

<u>एसबीएम</u> - एसबीएम (जी) चरण-दो के अंतर्गत, वित्तीय विवेकपूर्णता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे (एक) राज्यों/संघ राज्यो क्षेत्रों को राज्य स्तर पर सभी भुगतान करने के लिए एकल नोडल खाता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है ताकि इस कार्यक्रम के तहत निचले स्तर पर धनराशि जमा होने से बचा जा सके और अव्ययित शेष की निगरानी में पारदर्शिता लाई जा सके (दो) निधियों के जमा होने (पार्किंग) को कम करने के लिए चार किस्तों (पूर्ववर्ती दो किस्तों के बजाय) में धनराशि जारी की जाएगी, (तीन) विभाग, भारत सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑन-बोर्ड करने और पीएफएमएस के आरईएटी/डीबीटी मॉड्यूल के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया में है ताकि धनराशियों के उपयोग की वास्तविक समय पर निगरानी की जा सके। एसबीएम(जी) चरण-दो के तहत गांवों में की जा रही सभी स्वच्छता गतिविधियों की प्रगति को शामिल करने के लिए विकसित एक मोबाइल ऐप के माध्यम से वास्तविक प्रगति की भी निगरानी की जा रही है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा सं. 17 देखिए)

अध्याय - तीन

सिफारिशें / टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

शून्य

अध्याय - चार

सिफारिशें / टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है

सिफारिश क्रम संख्या 7 (पैरा सं. 2.10 और 2.11)

समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि देश में 15.02.2021 तक 48,969 ग्रामीण बस्तियां अभी भी पानी के संदूषण से प्रभावित हैं, जिनमें से 3,112 बस्तियां आर्सेनिक संदूषण, 2,972 फ्लोराइड से, 31,142 लौह से, 866 नाइट्रेट संदूषण से, 300 भारी धातुओं से और 10,575 बस्तियां पानी में उच्च लवणता से प्रभावित हैं। इसके अलावा, समिति यह भी नोट करती है कि चिह्नित 27,544 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में मार्च, 2021 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मार्च, 2017 में पूर्व के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (अब जेजेएम में सम्मिलित) के भाग के रूप में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) शुरू किया गया था। 15 फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, 78 बस्तियों को छोड़ कर शेष बस्तियों को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तथापि, लौह और लवणता जैसे अन्य संदूषकों से प्रभावित बस्तियों, जो कि जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का बड़ा हिस्सा हैं, को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की-गई-कार्रवाई के संबंध में विभाग ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को भी इस पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। समिति यह समझती है कि पेयजल स्रोतों के संदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार ने असुरक्षित जल के उपभोग का स्वयं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में ग्रामीण आबादी को जागरूक बनाने के लिए समय-समय पर बड़ा जागरूकता ड्राइव/अभियान चलाया है, जो प्रशंसनीय है। तथापि, समिति का यह सुविचारित मत है कि यद्यपि जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का एकमात्र समाधान पाइप द्वारा जल आपूर्ति करना है, फिर भी जब तक कि पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रत्येक ग्रामीण घर/बस्ती तक पहुंचे, देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत/बस्ती में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) की स्थापना करके स्वच्छ जल की आपूर्ति करने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। समिति को यह जानकारी दी गई है कि विभिन्न राज्यों द्वारा अब तक देश में 32,277 सीडब्ल्यूपीपी स्थापित किए गए हैं। समिति इस बात को लेकर संशय में है कि क्या ये सीडब्ल्यूपीपी जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं। समिति सिफारिश करती है कि विभाग, राज्यों के साथ परामर्श करके सीडब्ल्यूपीपी की कुल आवश्यकताओं का आकलन करे और सभी बस्तियों में सीडब्ल्यूपीपी की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार करे।

सरकार का उत्तर

जल जीवन मिशन का उद्देश्य, वर्ष 2024 तक नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है, जिसमें जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना है। तथापि, सुरक्षित जल स्रोतों के आधार पर जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन में समय लगता है, पूर्णत: अनंतिम उपाय के रूप में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि इन बसावटों में प्रत्येक परिवार को पीने और

रसोई की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 8 से 10 एलपीसीडी पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके। राज्यों से बार-बार प्राथमिकता के आधार पर सभी शेष बसावटों में सीडब्ल्यूपीपी संस्थापित करने का अनुरोध किया जा रहा है। वार्षिक आयोजना प्रक्रिया के दौरान, राज्यों पर इन सभी गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में वर्ष के दौरान ही पीने योग्य जल उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा सं. 8 देखिए)

सिफारिश क्रम संख्या 8 (पैरा सं. 2.12)

समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि पंजाब से राजस्थान तक बहने वाली गंगा नहर में पंजाब में स्थित उद्योगों द्वारा बहाए गए हानिकारक और अनुपचारित रसायन होने की बात कही गई है। इस जल का उपभोग करने के कारण, गंगानगर और निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित गांव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है जिसका ग्रामीणों के स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जो इसका पीने के लिए इसका उपयोग करते हैं और दिन-प्रतिदिन कैंसर के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। समिति, इस मामले पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, विभाग से राजस्थान के गंगानगर जिले और निकटवर्ती क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर जल शोधन संयंत्रों की स्थापना करने के लिए इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाने का आग्रह करती है, ताकि इस मिशन के अंतर्गत स्वच्छ और पीने योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

सरकार का उत्तर

जल जीवन मिशन - समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। राजस्थान राज्य से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा सं. 11 देखिए)

सिफारिश क्रम संख्या 9 (पैरा सं. 2.13)

जेजेएम योजना के अंतर्गत, विभाग, नीतिगत दिशानिर्देश, तकनीकी और वित्तीरय सहायता उपलब्धव करा कर पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, उन्नत बनाने और कार्यकरण में सुधार करने और इसे सुदृढ़ बनाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रहा है और उन्हें सुविधाएं उपलब्धर करा रहा है। समिति पाती है कि अनुदानों की मांगें (2020-21) की जांच के दौरान, तत्कालीन सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सूचित किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2,232 परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं, जिनमें से 28 राज्य स्तयरीय प्रयोगशालाएं, 732 जिला प्रयोगशालाएं, 244 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं और 1146 अनुमंडलीय प्रयोगशालाएं थीं। तथापि, समिति ने अनुदानों की मांगें (2021-22) की जांच के संबंध विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 2,032 नोट करती है, जिनमें से 28 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं, 675 जिला प्रयोगशालाएं, 93 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं और 1,143 अनुमंडलीय प्रयोगशालाएं हैं। समिति ने पेयजल

और स्वच्छता विभाग की अनुदानों की मांगें (2020-21) संबंधी अपने चौथे प्रतिवेदन में पहले ही जल संदूषित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पर बल दिया था। तथापि, समिति यह नोट कर निराश है कि स्थापित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या में प्रगामी वृद्धि को दर्शाने के बजाए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्थापित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या में कमी की गई है। समिति महसूस करती है कि जेजेएम की सफलता में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि ग्रामीण स्तर पर उपयोग किए जा रहे जल में कोई हानिकारक तत्व नहीं है, जोकि ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिए अहितकर हैं। इसलिए, समिति, विभाग से पर्याप्त संख्या में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने और चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्यशील जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या में कमी करने के कारणों के बारे में समिति को अवगत कराए जाने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला/उप मंडलीय/ब्लॉक/सचल (मोबाइल) प्रयोगशालाओं की स्थापना/ उन्नयन द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण, जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) का अभिन्न घटक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए आवंटन का 2% तक डब्ल्यूक्यूएमएस के उपयोग हेतु उपलब्ध है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, उपकरणों, यंत्रों, रसायनों, ग्लासवेयर, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद, आउटसोर्स मानव संसाधन को नियोजित करना, एनएबीएल प्रत्यायन आदि जैसे कार्यकलाप शामिल हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि हर राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय प्रयोगशाला हो और बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाए ताकि आसपास के सभी स्रोतों की नियमित रूप से जांच की जा सके। इसके अलावा, सभी जिलों में एक जिला स्तरीय प्रयोगशाला अवश्य हो और उच्च प्राथमिकता के साथ इनका गठन किया जाए। संबंधित राज्य, प्रभावी निगरानी के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और प्रयोगशालाओं की एनएबीएल प्रत्यायन/ मान्यता के साथ-साथ अन्य डब्लूक्यूएमएस कार्यकलापों को वार्षिक कार्य योजना की आयोजना में अनिवार्य रूप शामिल करें। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को शीघ्रता से एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए एनएबीएल से प्रत्यायन/मान्यता प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सरल बनाने के मामले को उठाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से आयोजित सभी समीक्षा बैठकों में इस पहलू के अनुपालन पर बल दिया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया है, ताकि नाम मात्र दरों पर वे अपने जल नमूनों की जांच करवा सकें और अपने घरों में आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता का आकलन कर सकें। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 'जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली' पर मैप करने के लिए कहा गया था जहां यह जांच की जा सके। इस संबंध में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन प्रयोगशालाओं का कार्यकरण की समीक्षा की और अद्यतन आंकड़ों के आधार पर इनकी नवीनतम संख्या बताई गई है। विभाग, एनएबीएल के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला स्तर की प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन तथा उप-मंडलीय और ब्लॉक स्तर की प्रयोगशालाओं की पहचान में तीव्रता लाने

के संबंध में कार्य कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त और प्रभावी आईईसी कार्यकलाप सुनिश्चित रूप से चलाएं तथा प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण दें ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्वच्छता तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सुरक्षित पेयजल स्रोतों के विभिन्न पहलुओं के विषय में उच्च स्तरीय जागरूकता लाई जा सके।

(का.ज्ञा.सं. 11013(12)/2/2021-समन्वय/संसदीय, दिनांक 28.05.2021)

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय - एक का पैरा सं. 14 देखिए)

अध्याय - पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

शून्य

नई दिल्ली
दिसंबर, 2021
अग्रहायण,1943 (शक)

डॉ. संजय जायसवाल,
सभापति,
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध- एक

<u>जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति(2021-22) की गुरूवार, 21 अक्तूबर, 2021 को हुई पहली बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

समिति की बैठक 1130 बजे से 1200 बजे तक समिति कमरा सं. '3', 'ए' ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई ।

<u>उपस्थित</u>

डॉ. संजय जायसवाल – सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. श्री विजय बघेल
3. श्री भागीरथ चौधरी
4. डॉ. के.जयकुमार
5. श्री कुरूवा गोरांतला माधव
6. श्री हंसमुखभाई एस. पटेल
7. श्री पी. रविन्द्रनाथ
8. कुमारी अगाथा के.संगमा
9. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
10. श्री चंदन सिंह

<u>राज्य सभा</u>

11. सरदार बलविंदर सिंह भुंडर
12. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर
13. डॉ. किरोडी लाल मीणा
14. श्री सुभाष चन्द्र सिंह

<u>सचिवालय</u>

1. श्री एम.के. मधुसूदन - निदेशक
2. श्री आर.सी. शर्मा - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और वर्ष 2021-22 के लिए समिति में नामनिर्दिष्ट/पुनः नामनिर्दिष्ट होने पर उन्हें बधाई दी।

3. xxx xxxx xxx
xxx

4. तत्पश्चात, समिति ने जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग) की "अनुदानों की मांगों(2021-2022)" पर समिति के क्रमशः दसवें व ग्यारहवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया। समिति ने कुछ विचार-विर्मश के पश्चात् बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के दोनों ही प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया। समिति ने सभापति को संसद के अगले सत्र में दोनों ही सदनो में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत भी किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध-दो

[देखिए, प्राक्कथन का पैरा 4]

समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	सिफारिशों/टिप्पणियों की कुल संख्या	19
दो.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है क्र. सं. 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18 और 19	कुल-16 प्रतिशत-84.21%
तीन.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती क्र.सं. शून्य	कुल-00 प्रतिशत-00%
चार.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है क्र.सं. 7,8 और 9	कुल-03 प्रतिशत-15.79%
पांच.	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं क्र. सं. शून्य	कुल-00 प्रतिशत- 00%